भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 2323

उत्तर देने की तारीख- 13/03/2025

राजस्थान में अनुसूचित जनजाति समुदाय के विद्यार्थियों के लिए छात्रावासों की स्थापना

2323. श्री मुरारी लाल मीनाः

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का राजस्थान के दौसा जिले में अनुसूचित जनजाति (एसटी) समुदाय के विद्यार्थियों के लिए छात्रावास स्थापित करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या इस संबंध में कोई योजना/कार्य-योजना तैयार की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या दौसा जिले में अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए कोई सरकारी छात्रावास उपलब्ध नहीं है;
(घ) यदि हां, तो क्या सरकार तीतरवाड़ा, धरनवास, हिंगोटा, गंदरावा, गोकुलपुरा, सीकरी, जगरामपुरा पट्टी और ठिकरिया जैसे क्षेत्रों में छात्रावास स्थापित करने के लिए कोई ठोस कदम उठा रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ङ) क्या सरकार का इन छात्रावासों के निर्माण के लिए आवश्यक बजट स्वीकृत करने और उक्त योजना/कार्य-योजना को शीघ्र क्रियान्वित करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लिए अनुमानित समय-सीमा क्या है; और
(च) क्या सरकार अनुसूचित जनजाति समुदाय के छात्रों को सामाजिक और शैक्षिक रूप से सशक्त बनाने के लिए आवश्यक संसाधन और सुविधाएं प्रदान करती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्य मंत्री
(श्री दुर्गादास उइके)

(क) से (ङ): जनजातीय कार्य मंत्रालय के पास अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए छात्रावास स्थापित करने की कोई योजना नहीं है। हालाँकि, जनजातीय कार्य मंत्रालय (एमओटीए) पहले एक अलग योजना "अजजा बालिकाओं और बालकों के लिए छात्रावास" चला रहा था, जिसके तहत छात्रावासों के निर्माण के लिए राज्य सरकारों को धनराशि प्रदान की जाती थी। यह योजना वित्तीय वर्ष 2017-18 तक लागू थी। मंत्रालय की योजनाओं के युक्तिकरण के हिस्से के रूप में, छात्रावासों के निर्माण के उपाय को 2018-19 से संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के तहत अनुदान और जनजातीय उप-योजना के लिए विशेष केंद्रीय सहायता (टीएसएस को एससीए) की योजनाओं के तहत शामिल किया गया था, जिसमें मंत्रालय में परियोजना मूल्यांकन समिति (पीएसी) के मूल्यांकन और अनुमोदन के बाद राज्य सरकारों को धनराशि उनसे प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर प्रदान की जाती है।

संविधान के अनुच्छेद 275(1) के प्रावधान के अंतर्गत दौसा सहित राजस्थान राज्य में स्वीकृत छात्रावासों का विवरण निम्नानुसार है:

(लाख रूपये में)

क्र.सं.	**कार्यकलाप**	**स्थान**	**पीएसी द्वारा स्वीकृत राशि**
	वित्तीय वर्ष: 2021-22		
1.	**उच्च प्रदर्शन करने वाले स्कूलों में अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए 13 आश्रम छात्रावासों का निर्माण** 1. अजमेर (मुख्यालय) 2. नीमका थाना(सीकर) 3. वीयर (भरतपुर) 4. मंडरायल(करौली) 5. भीनमाल(जालौर) 6. बडोदिया(हिण्डोली-बूंदी) 7. करनावर(बांदीकुई-दौसा) 8. शाहपुरा(भीलवाड़ा) 9. गोदी-तेजपुर(बांसवाड़ा) 10. कुंडला(बांसवाड़ा) 11. केशोराय पाटन(बुंदली) 12. मनोहरथाना (झालावाड़) 13. करौली मुख्यालय क्षमता: 50 छात्र प्रत्येक कुल निर्माण क्षेत्र: 11600 वर्ग फीट अनुमानित लागत- @रु. 2400/वर्ग फीट = रु. 280.00 लाख/छात्रावास	भरतपुर, करौली, दौसा, झालावाड़। सीकर, बूंदी, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, अजमेर, जालौर,	1300.00
वित्तीय वर्ष: 2023-24			
2.	**अच्छे शैक्षणिक प्रदर्शन करने वाले स्कूलों में अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए 13 आश्रम छात्रावासों का निर्माण** छात्रावासों की संख्या: 13, स्वीकृति वर्ष की प्रतिबद्ध देयता: 2021-22, कुल लागत: 3640.00 लाख, पहले से जारी निधि-2640.00।	भरतपुर, करौली, दौसा, झालावाड़। सीकर, बूंदी, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, अजमेर, जालौर,	1000.00
वित्तीय वर्ष: 2024-25			
3.	**7 नये छात्रावासों का निर्माण** कुल लागत: रु. 1960.00 लाख इकाई लागत: रु. 280.00 लाख	जोधपुर, सिरोही (2), भीलवाड़ा (2), जालौर, दौसा	875.00

इसके अतिरिक्त, राजस्थान राज्य में मंत्रालय ने टीएसएस को एससीए योजना के अंतर्गत वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान टीएडीडी के 300 छात्रावासों और विद्यालयों के लिए किचन गार्डेन को मंजूरी दी है, जिसके लिए स्वीकृत राशि 40.5 लाख रुपये है।

(च) इसके अलावा, जनजातीय कार्य मंत्रालय अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों में बुनियादी और उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने और प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित छात्रवृत्ति योजनाएं क्रियान्वित कर रहा है ताकि उन्हें सामाजिक और शैक्षिक रूप से सशक्त बनाया जा सके।

i) अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति (कक्षा IX और X के लिए):

ii) अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति (कक्षा XI और उससे ऊपर):

iii) अनुसूचित जनजाति के छात्रों की उच्च शिक्षा के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना (पहले शीर्ष श्रेणी छात्रवृत्ति योजना के रूप में जानी जाती थी): प्रबंधन, चिकित्सा, इंजीनियरिंग, सूचना प्रौद्योगिकी, कानून आदि जैसे व्यावसायिक क्षेत्रों में 265 शीर्ष श्रेणी के सरकारी और गैर-सरकारी संस्थानों में स्नातक / स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

iv. अजजा छात्रों की उच्च शिक्षा के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति योजना: भारत में एम.फिल या पीएचडी करने के लिए मेधावी अजजा छात्रों को छात्रवृत्ति

v) अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति: विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए मेधावी अनुसूचित जनजाति (अजजा) छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाती है।

उपरोक्त योजना के अतिरिक्त, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान 2 अक्टूबर, 2024 को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किया गया है। अभियान में 17 लाइन मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित 25 उपाय शामिल हैं और इसका उद्देश्य 5 वर्षों में 30 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के 549 जिलों और 2,911 ब्लॉकों के 63,843 गांवों में बुनियादी ढांचे के अंतरों को पूरा करना, स्वास्थ्य, शिक्षा, आंगनवाड़ी सुविधाओं तक पहुंच में सुधार करना और आजीविका के अवसर प्रदान करना है। इसमें राजस्थान के दौसा जिले के 11 ब्लॉकों के 321 गांव शामिल हैं। इस अभियान में शिक्षा मंत्रालय के समग्र शिक्षा के अंतर्गत छात्रावासों का उपयोग है और छात्रावासों को अभियान के अंतर्गत जनजातीय कार्य मंत्रालय के उपाय के अंतर्गत भी शामिल किया गया है। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान राज्य सरकार के प्रस्तावों के आधार पर जनजातीय कार्य मंत्रालय ने आवासीय विद्यालयों के उन्नयन/छात्रावासों, शौचालय ब्लॉक आदि के निर्माण के लिए 60.29 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को मंजूरी दी है।"

जनजातीय बच्चों को उनके अपने परिवेश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए वर्ष 2018-19 में केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) की शुरुआत की गई थी। जनजातीय कार्य मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संस्था, नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स (एनईएसटीएस), जिसे एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) की स्थापना और प्रबंधन का दायित्व सौंपा गया है, ने मार्च 2024 में 200 ईएमआरएस में 400 कौशल प्रयोगशालाएँ (प्रति विद्यालय 2 कौशल प्रयोगशालाएँ) स्थापित करने के लिए कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अलावा, एनईएसटीएस ने सीबीएसई और विश्व बैंक के सहयोग से ईएमआरएस में अध्ययनरत जनजातीय छात्रों

के कौशल प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करने के लिए ईएमआरएस में 14 और कौशल प्रयोगशालाएँ स्थापित की हैं। एनईएसटीएस ने नीति आयोग के साथ मिलकर 16 ईएमआरएस में अटल टिंकरिंग लैब (एटीएल) प्रयोगशालाएँ भी स्थापित की हैं। इन विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों को कौशल विकास में अनुभव प्राप्त करने में सक्षम बनाया गया है।

जनजातीय कार्य मंत्रालय ने केन्द्रीय क्षेत्र की योजना जनजातीय अनुसंधान सूचना, शिक्षा, संचार और कार्यक्रम (टीआरआई-ईसीई) के तहत 2023-24 में नैनो विज्ञान और इंजीनियरिंग केंद्र, भारतीय विज्ञान संस्थान, बेंगलुरु को "जनजातीय समुदाय के छात्रों के लिए सेमीकंडक्टर निर्माण और लक्षण वर्णन प्रशिक्षण" परियोजना सौंपी है। इस परियोजना का उद्देश्य आईआईएससी के सहयोग से तीन वर्षों में जनजातीय छात्रों को सेमीकंडक्टर प्रौद्योगिकी में 2100 एनएसक्यूएफ-प्रमाणित स्तर 6.0 और 6.5 का प्रशिक्षण प्रदान करना है। परियोजना के अंतर्गत 1500 जनजातीय छात्रों को बुनियादी प्रशिक्षण तथा 600 जनजातीय छात्रों को उन्नत प्रशिक्षण प्रदान करने का प्रावधान है। वर्तमान में, प्रथम फाउंडेशन कार्यक्रम में 111 प्रशिक्षुओं को तथा नैनो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर प्रथम उन्नत कार्यक्रम के लिए कुल 29 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण प्राप्त हुआ है।

अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान सहायता योजना के अंतर्गत, मंत्रालय शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में परियोजनाओं को वित्तपोषित करता है, जिसमें आवासीय विद्यालय, गैर-आवासीय विद्यालय, छात्रावास, सचल औषधालय, दस या अधिक बिस्तरों वाले अस्पताल, आजीविका आदि शामिल हैं।

*****